गौ संरक्षण अधिनियिम के तहत मामले

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने राज्य भर में अधिकार क्षेत्र वाली चार विशिष अदालतें स्थापित करके [गौ संरक्षण अधिनियम](https://www.drishtiias.com) **के तहत दर्ज मामलों के तीव्रता से निपटारे का निर्णय लिया है।**

मुख्य बिंदु

- **विशिष न्यायालयों की स्थापना:**
  - [राज्यपाल](https://www.drishtiias.com) **ने पंजाब एवं हरियाणा** [उच्च न्यायालय](https://www.drishtiias.com) **की मंजूरी** से **नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में विशिष अदालतें** स्थापित की हैं।
  - इन **अदालतों का नेतृत्व वरिष्ठतम अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश करेंगे** जो नियमित मामलों को संभालेंगे।
  - **ये अदालतें हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्द्धन अधिनियम, 2015** के तहत अपराधों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करेंगी।
- **विशिष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:**
  - **नूंह न्यायालय**: नूंह, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी ज़िलों के मामलों की निगरानी करेगा।
  - **पलवल न्यायालय**: पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक और सोनीपत ज़िलों को कवर करेगा।
  - **अंबाला न्यायालय:** इसका क्षेत्राधिकार अंबाला, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल ज़िलों पर होगा।
  - **हिसार न्यायालय:** हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल ज़िलों के मामलों को संभालेगा।
- **हरियाणा का गौ संरक्षण कानून:**
  - हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्द्धन अधिनियम वर्ष 2015 में बनाया गया था।
  - यह कानून **गायों की हत्या पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है** तथा इसका उद्देश्य **गोमांस की खपत को कम करना है।**
  - यह कानून गायों की हत्या, बलि चढ़ाने या हत्या करवाने पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, **आत्मरक्षा में या दुर्घटनावश गाय को मारना** कानून के तहत हत्या नहीं माना जाता।
- **विशिष कार्य बल की भूमिका:**
  - हरियाणा में इस अधिनियम को लागू करने के लिये **विशिष गौ संरक्षण कार्य बल** उत्तरदायी है।
  - टास्क फोर्स जनता से पशु तस्करी और हत्या के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी एकत्र करती है और तदनुसार कार्रवाई करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cases-under-cow-protection-act